न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2018

निगरानी-3156/2018/दमोह/भू.रा

1. आशुतोष पाठक,
2. पवन कुमार पाठक,
3. शानतंनु पाठक, पुत्रगण स्व. श्री मनोहर राव पाठक, निवासी- साकिन ग्राम बॉंसाकलॉं तहसील पथरिया जिला दमोह (म.प्र.)

--आवेदकगण

विरूद्ध

आम जनता ग्राम बॉंसाकलॉं

--अनावेदक

श्री विनोद भार्गव अधि.
द्वारा आज दि. 22-5-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 22-5-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 22.5.18

पथरियाजिला दमोह

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, दमोह म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 36अ/05 वर्ष 2017-18 में पारित आदेश पारित दिनांक 08/05/2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन अपील ।

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
22-05-2018

माननीय महोदय,

आवेदकगण की पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, ग्राम बॉंसाकला तहसील पथरिया जिला दमोह में स्थित भूमि बंदोबस्त पूर्व सर्वे क्रमांक 1355 रकबा 7.018 हे. भूमि थी। बंदोबस्त पश्चात् उपरोक्त सर्वे क्रमांक से बने नवीन सर्वे क्रमांक 1760 रकबा 6.94 हे. बनाया गया उक्त बंदोबस्त त्रुटि दौरान आवेदक का रकबा 0.008 हे. कम कर दिया गया।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी 3558/2018/दमोह/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5/6/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया आवेदक अधिवक्ता के अनुसार राजस्व निरीक्षक द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया है वह उन्हें सुने बिना तैयार किया गया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक के आवेदन को निरस्त करने में त्रुटि की है। । आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक द्वारा धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 के तहत प्रस्तुत आवेदन को यह लिखकर निरस्त किया है कि आवेदक को राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन पर स्पष्ट प्रतिवेदन लिए जाने का आवेदन प्रस्तुत करना था, जो नहीं किया गया जबकि उन्हें आवेदक अधिवक्ता के तर्कों को देखते हुए बोलता हुआ आदेश पारित करना था। चूंकि प्रकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इस निगरानी को ग्राह्य किए जाने का कोई औचित्य नहीं है अत: निगरानी अग्राह्य करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिए जाते हैं कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा 32 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर पुर्नविचार कर बोलता हुआ आदेश पारित करें । प्रशा0 सदस्य	